प्रेस नोट थाना कोतवाली

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक 30.05.2026

थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा आईपीएल मैचों में सट्टेबाजी करने वाले 06 अभियुक्तों किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय, श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अवैध गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 29/30.05.2026 को थाना कोतवाली पुलिस को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि भाटनटोला कॉलोनी में कुछ लोग आई0पी0एल0 सटटे की खाईबाडी कर रहे हैं। मुखबिर द्वारा बताये स्थान से कुल 06 लोगों को सट्टे की खाईबाड़ी करते हुए पकड़ लिया। पूछताछ करने पर अभियुक्त 1. पराक्रम निवासी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर जिसके कब्जे से 01 मोबाइल एंड्रायड़ कम्पनी ओप्पो बरामद हुआ। 2. प्रखर निवासी थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर के कब्जे से एक एंड्रायड़ मोबाइल फोन कम्पनी ओप्पो बरामद हुआ। 3. नीतेश निवासी थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर के कब्जे से एक i phone मोबाइल बरामद हुआ। 4. विश्वेष निवासी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर के कब्जे से एक एंड्रायड मोबाइल सैमसंग गैलसी बरामद हुआ। 5. पुरुषार्थ निवासी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर के कब्जे से एक मोबाइल apple iphone 17, एक अदद मोबाइल मोटो कम्पनी बरामद हुआ। 6. बाल गोविन्द निवासी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर के कब्जे से एक अदद एंड्राइड मोबाइल nothing कम्पनी बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्तियों से जुआ (सट्टा) खेलने का लाईसेंन्स न दिखाने पर समय 3.28 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। जानकारी करने पर बताया गया कि हम लोग बुकि बकार, देवेश व शेर मोहम्मद पता नामालूम के माध्यम से मोबाइल पर IPL मे सट्टा लगवाते हैं। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 167/2026 धारा 3/4 सार्वजनिक जुआ अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. पराक्रम निवासी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर
2. प्रखर निवासी थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर
3. नीतेश निवासी थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर
4. विश्वेष निवासी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर
5. पुरुषार्थ निवासी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर
6. बाल गोविन्द निवासी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर

गिरफ्तारी का दिनांक,समय व स्थान -

- दिनांक 30.05.2026 को समय 3.28 बजे, भाटनटोला कॉलोनी थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

- मु0अ0सं0 167/2026 धारा 3/4 सार्वजनिक जुआ अधिनियम थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।

आपराधित इतिहास अभियुक्त (पराक्रम) –

1. मु0अ0सं0 - 139/2025 धारा 106(1), 125(b), 281 बीएनएस थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0 167/2026 धारा 3/4 सार्वजनिक जुआ अधिनियम

बरामदगी का विवरणः-

1. 07 अदद मोबाईल फोन

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. व0उ0नि0 संजीव कुमार
2. उ0नि0 विशेष कुमार
3. उ0नि0 कुमार गौरव
4. उ0नि0 विजय कुमार
5. उ0नि0 विवेक कुमार
6. उ0नि0 विनय कुमार
7. का0 रोहित कुमार
8. रि0का0 दीपक

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि साहब कल IPL में गुजरात व राजस्थान का मैच था। 29.05.2026 का हमारी डायरी में जो हिसाब मिला है वो कल के खेल का सट्टा कारोबार था तथा कल से पहले भी IPL मैच मे सट्टा की खाईबाड़ी का हिसाब इसी डायरी मे अंकित किया था तथा कल हम सट्टे का बैठकर हिसाब किताब निकाल रहे थे। मोबाइल हमारी जेब एवं हाथ से मिले हैं, इन मोबाइल के जरिये ही हम IPL सट्टे के सम्बन्ध में लोगों से बातचीत कर QR पर रुपये का आदान प्रदान करते है तथा कुछ ग्राहक नगद लगाते हैं वह हम नगद ले लेते हैं तथा मैच के परिणाम अनुसार सम्बन्धित को उसकी शर्त अनुसार भुगतान कर देते है तथा इसी से हम अपने परिवार का गुजारा करते है तथा हम नीतेश के यहाँ जुआ खेलने का 10 हजार रूपया महीना देते है। इस संबंध में नितेश ने यह बात स्वीकार की है कि मैं ही यह जुआ घर चलाता हूँ तथा जुआ खिलाने से प्राप्त रकम द्वारा अपना परिवार चलाता हूँ। हम बकार, देवेश व शेर मोहम्मद से मोबाइल के माध्यम से उक्त सट्टे की रकम IPL में लगवाते हैं।